

फर्द अहकाम

(निगम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

इन्द्राज वगैरह बनाम् राजू वगैरह

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण सं.-03 सन् 2026

जी.सी.एम.एस नं.-2026/3

तारीख हुग	हुग या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
08.01.2026	आज प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब करके पत्रावली आईन्दा दिनांक 19.01.2026 को पेश हो।	
	<p>सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	
19/1/26	पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/1/26 को पेश हो।	
13/2/26	पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/1/26 को पेश हो।	
13/2/26	पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/1/26 को पेश हो।	
29/1/26	पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/1/26 को पेश हो।	

तारीख हुक्म

२०/१/२०१६

पञ्जाब की उच्च न्यायालय की कोर्ट की पालका से
कोर्ट के दिनांक २२/१/२०१६ को पूरा हो

२२/१/२०१६

पञ्जाब की उच्च न्यायालय की कोर्ट की पालका से उच्च
कोर्ट लिखित कथा किता कि उच्च न्यायालय से
लोकरपालर ही कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास है
सर्व उच्च कोर्ट को जाने नहीं चलाय जाये है
इतना उच्च नोटिफिकेशन कोर्ट के कोर्ट
पर उच्च न्यायालय लिखा। पञ्जाब की उच्च न्यायालय
दखिल दखल कोर्ट नं. से कर है

प्रकरण में लोकअदालत
की भावना से राजीनामा
ही गया है। प्रकरण
को अभी नहीं चलाना
चाहते।

Note press.



(पुलकित गौड़ स.)

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़